न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

रेफरेन्स संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 06 / 2013	2016 / 00026	06.06.2013	01.11.2021

01—तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

01— श्रीमति पुष्पा देवी स्त्री स्व0श्री रामजीलाल
02— मनोज पुत्र स्व0श्री रामजीलाल
03—मनीष स्व0श्री रामजीलाल
04—रेखा पुत्री स्व0श्री रामजीलाल
05—रितु स्व0श्री रामजीलाल
06 / 01 पवन पुत्र रत्तीराम
06 / 02—परवेश पुत्र रत्तीराम
06 / 03 —प्रवीण पुत्र रत्तीराम
07 / 01—बिमला स्त्री रोहिताश
07 / 02—सत्यप्रकाश पुत्र रोहिताश
07 / 03—सरीता पुत्री रोहिताश
08—सत्यवीर पुत्र शांति
09—कर्ण पुत्र शांति
10—रामरती पुत्री शांति
11—छोटा पुत्री शांति
12—कान्ता पुत्री शांति
13—धनकोरी स्त्री स्व0श्री प्रभाती
14—वीर सिंह पुत्र स्व0श्री प्रभाती
15—रोहिताश सिंह पुत्र स्व0श्री प्रभाती
16—लक्ष्मी पुत्री स्व0श्री प्रभाती
17—कमलेश स्त्री स्व0श्री विजय सिह
18—मनोज कुमार पुत्र स्व0श्री विजय सिह
19—संयोगिता पुत्री स्व0श्री विजय सिह
20—अन्जू पुत्री स्व0श्री विजय सिह
21—मन्जू पुत्री स्व0श्री विजय सिह
22—नीलम पुत्री स्व0श्री विजय सिह जाति समस्त अहीर निवासियान बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
23—जरिये प्रबन्धक एस.बी.आई.बैंक शाखा बहरोड़।

—अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

01–श्री दीपक कुमार मीणा –राज अधिवक्ता

02–श्री रामेश्वर दयाल –अप्रार्थीगण

निर्णय

तहसीलदार बहरोड ने रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल. आर. एक्ट 1956 मंदिर श्री बिहारी जी महाराज ग्राम झारोडा, तहसील बहरोड जिला अलवर बाबत आराजी खसरा नम्बर हाल 317, 319, 342, 343, कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर प्रस्तुत किया। रेफरेन्स का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम झारोडा की जमाबन्दी सम्वत 2068–71 हाल आराजी खसरा नम्बर 317, 319, 342, 343, किता 4 रकबा 2.37 है। रामजीलाल, रति राम पि0रामचन्द्र सम. हि 3/8 शान्ति पुत्री रामचन्द्र हि. 1/8 प्रभाती पुत्र सगरू हि. 1/2 अहीर सा. बहरोड खातेदार है। रतिराम का हि0 एस.बी.आई.शाखा बहरोड के पक्ष में रहन दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 खसरा नंबर हाल–317 रकबा 0.64 ऐयर जिसके साबिक नम्बर 260 दो बीघा 10 बिस्वा 319 रकबा 0.58 है0 जिसके साबिक नम्बर 259 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 0.61 है0 जिसके साबिक 258 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.54 जिसके साबिक नम्बर 261 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा है। मिसल बंदोबस्त मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 जिसके खसरा नम्बर 258 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके साबिक नम्बर 248 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा है, हाल खसरा नम्बर 259 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके साबिक नम्बर 249 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा है, हाल खसरा नम्बर 260 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर 250 रकमबा 2 बीघा 10 बिस्वा व 261 रकबा 2 बीघा जिसके साबिक नम्बर 251 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा है। जमाबन्दी संवत 2010 में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 251, किता 4 रकबा 9.5 बीघा जो भागता मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज व बहजराम रामस्वरूप पुत्र विशम्बर 1/3 रामशरण पुत्र रामदयाल 1/3 रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र देवकी कुन्जन लाल पि0बेनीप्रसाद सम. 1/3 ब्राह्मण साकिन बहरोड के नाम दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 5 में कृषक रामचन्द्र प्रभाती पि0सगरू सा. बहरोड खातेदारी दर्ज है। ग्राम झारोडा के मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2020 के अनुसार ख.नं 258 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 259 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 260 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 261, रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा नाम भोक्ता कॉलम 3 में माफी मंदिर श्री बिजारीजी महाराज व महन्तनाम पुजारी रामस्वरूप पुत्र विशम्बर हि. 1/3 रामशरण पुत्र रामदयाल हि. 1/3 रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र देवकरण, कुन्दनलाल पि.देवीप्रसाद सभान हि. 1/3 जाति ब्राह्मण सा. बहरोड के नाम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 में कृषक रामचन्द्र प्रभाती पि. सगरू रतिराम जाति अहीर सा.बहरोड 6 साल खातेदार दर्ज है। ग्राम झारोडा के

नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 29.03.1964 के अनुसार मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज के किता 4 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा को जप्ती माफी के मिलकियत सरकार हो गया था। ग्राम झारोडा की जमाबन्दी सम्वत 2025–28 के अनुसार ख.नं. 258, 259, 260, 261, किता 4 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा रामचन्द्र, प्रभाती पि. सगरू संभाग अहीर सा. बहरोड खातेदार दर्ज है। ग्राम झारोडा की जमाबन्दी सम्वत 2029–32 व 2033 में ख.नं. 258, 259, 260, 261, किता 4 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा रामचन्द्र प्रभाती पि. सगरू संभाग अहीर सा.बहरोड खातेदार दर्ज है। ग्राम झारोडा कीद मिसल बंदोबस्त संवत 2042 के अनुसार मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 258, 259, 260, 261, किता 4 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 317 रकबा 0.64 ऐयर 319, रकबा 0.58 ऐयर, 342 रकबा 0.61 ऐयर 343 रकबा 0.54 ऐयर किता, 4 रकबा 2.37 हैक्टेयर बने है। ग्राम झारोडा की नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 23.05.1989 किस्म विरासत से रामचन्द्र पि. सगरू हि. 1/2 के बजाय रामजीलाल, रतिराम पुत्र रामचन्द्र , शांति मूर्ति पुत्री रामचन्द्र सम. 1/2 के नाम स्वीकार हुआ है। शेष प्रभाती पुत्र सगरू 1/2 हि. सा. बहरोड रहा। ग्राम झारोडा की जमाबन्दी संवत 2048–51, 2052–55, 2056–59, 2060–63, व 2064–67 के अनुसार खसरा नम्बर 317 रकबा 0.64 ऐयर, 319 रकबा 0.58 ऐयर, 342 रकबा 0.61 ऐयर 343 रकबा 0.54 ऐयर, किता 4 रकबा 2.37 है0 है। रामजीलाल, रतीराम पुत्र रामचन्द्र शान्ति, मूर्ति पुत्रियान रामचन्द्र सम. 1/2 हि. प्रभाती पुत्र सगरू अहीर हि. 1/2 सा. बहरोड खातेदार दर्ज है। ग्राम झारोडा के नामान्तकरण संख्या 1005 दिनांक 07/08/2010 किस्म हकत्याग से मूर्ति पुत्री रामचन्द्र हि. 1/8 की बजाय रामजीलाल, रतीराम पि. रामचन्द्र अहीर के नाम हि. 1/8 स्वीकार हुआ है। ग्राम झारोडा के नामान्तकरण संख्या 1045 दिनांक 20.09.2012 किस्म विरासत प्रभाती पुत्र सगरू की बजाय धनकौर पत्नी स्व0 प्रभाती, वीर सिंह, रोहिताश सिंह, पि0प्रभाती हि. 3/10 लक्ष्मी पुत्री प्रभाती हि. 1/10, कमलेश पत्नी स्व0विजय सिंह, मनोज कुमार पुत्र विजय सिंह हि. 1/30 संयोगिता , मन्जू, नीलम पुत्रियान विजय सिंह 1/15 कौम अहीर सा. बहरोड स्वीकार है। यह कि ग्राम झारोडा के नामान्तकरण संख्या 1048 दिनांक 20.09.2012 किस्म विरासत रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र की बजाय पुष्पा देवी पत्नी रामजीलाल , मनोज, मनीष, पुत्रान रामजीलाल, रेखा, रितु पुत्रियान रामजीलाल अहीर सा. बहरोड हि. 3/16 स्वीकार हुआ है। पटवारी पटवारी दिनांक 04.10.2012 नारेडाकला, तहसील बहरोड के अनुसार शान्ति पुत्री रामचन्द्र के वारिस रोहिताश, सत्यवीर कर्ण, पुत्रान शान्ति, समरती, छोटा, कान्ता पुत्रियान शान्ति है।

तहसीलदार बहरोड ने रेफरेन्स प्रस्तुत कर ग्राम झारोडा के आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.64 है0 319 रकबा 0.58 है0 342 रकबा 0.61 है0, 343 रकबा 0.54 है0 को मंदिर श्री बिहारी जी महाराज के नाम दर्ज किये जाने व खातेदारान का नाम कालमजन किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राज0अजमेर को मन्जूर कर भिजवाये जाने का निवेदन किया।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि

प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण की कब्जे व खातेदारी की आराजी है। मिसल हकीयत बन्दोबस्त संवत 2041 में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 317, 319, 342, 343, के काबिज खातेदार रामचन्द्र प्रभाती पुत्रान सगरू सम्भाग निवासी बहरोड खातेदार दर्ज है। मिसल हकीयत बंदोबस्त संवत 2020 में आराजी खसरा नम्बरान 258, 259, 260, व 261 वाके ग्राम झारोडा के रामचन्द्र प्रभाती पुत्रान सगरू संभाग जाति अहीर निवासी बहरोड काबित खातेदार अंकित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2010 के कॉलम नंबर–5 में कृषक रामचन्द्र प्रभाती पि0 सगरू काबित खातेदार अंकित है। उपरोक्त आराजी पर रामचन्द्र प्रभाती पुत्रान सगरू राज0टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने की तारीख 15.10. 1955 को बेहसियत टीनेन्ट कॉबिज थे, और खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर लिये। आराजी साबिक खसरा नम्बरान 248, 249, 250 व 261 वाके ग्राम झारोडा जो मंदिर श्री बिहारी जी महाराज की मुआफी की भूमि थी जो राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ 18(62)रेवेन्यू/ए/6 दिनांक 23.3.1963 को राजस्थान सरकार में जप्त हुई है। जिसका नामान्तकरण संख्या 321 ग्राम झारोडा दिनांक 23.3.1964 को तहसीलदार बहरोड ने स्वीकार किया है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण विक्रम संवत 2006 तदनुसार 1949 से बहैसियत काश्तकार काश्त कर रहे थे। इसलिये जमाबंदी संवत 2011–2014 में गैर मोरूसी साल 5 का अंकन है। जमाबंदी संवत 2026–2028 में भी अप्रार्थीगण बतौर खातेदार अंकित है। जमाबंदी संवत 2029–2032 व 2033 में भी अप्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेफरेन्स बेरून मियाद है और राजस्थान लेण्ड रिफार्मस एण्डरिजम्पसन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 9 व 10 तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 10 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। इसलिये तहसीलदार बहरोड द्वारा प्रस्तावित रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। रेफरेन्स खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 में साबिक खसरा नम्बर 248, 249, 250, व 251 से नये नम्बर 258, 259, 260, व 261 कायम किये गये। मुताबिक जमाबंदी संवत 2020 के दौरान खसरा नम्बर 258, 259, 260, व 261 माफी मंदिर श्री बिहारी जी महाराज अहतमाम पुजारी रामस्वरूप पुत्र विशम्भर हिस्सा 1/3. के स्थान पर रामचन्द्र प्रभाती पि0 सगरू संभाग जाति अहीर सा0 बहरोड गु. 8 साल खातेदार का इन्द्राज है। इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 258, 259, 260, व 261 के हाल खसरा नम्बर 317, 319, 342 व 343 कायम किये गये। जमाबंदी संवत 2042–2061 ग्राम झारोडा के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बरान हाल 317, 319, 337, 342, 343, पर रामचन्द्र प्रभाती पि. सगरू अहीर सा. बहरोड स.भा. खातेदार का इन्द्राज है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2064–68, जमाबंदी संवत 2068–71, के अनुसार भी प्रश्नगत आराजी पर हजारीलाल शालिग्राम पि. रामचन्द्र स.भा. हिस्सा 1/8 शांति पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/8 अहीर सा. बहरोड के नाम का अंकन है।

तहसीलदार बहरोड़ ने संवत 2010 को आधार मानते हुए मौजूदा रेफरेन्स न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 321 ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़ जो कि दिनांक 29.3.64 को मंदिर श्री बिहारी जी महाराज के स्थान पर रामचन्द्र प्रभाती पि. सगरू स.भा. अहीर सा. बहरोड़ खातेदार के नाम खोला गया है। यह राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ.18(62)रेवेन्यू ए/6/ सा. 23.3.63 से दर्ज कर स्वीकार किया है साथ ही "माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने पत्रांक: राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने बक्त अभिलेख में मूर्ति मंदिर के नाम विभिन्न रूपों में अभिलिखित भूमियों में काबिज काश्तकार के खातेदारी अधिकार अर्जित होने अथवा नहीं होने के बाबत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न परिपत्र दिनांक 13.12.91, 6.3.07, तथा 24.5.07 जारी किये गये। मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.5.07 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदी के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगें ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्वत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

अप्रार्थीगण को नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 29.3.64 द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा लगभग 50 वर्ष पश्चात मौजूदा रेफरेन्स प्रस्तुत किया है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है जो प्रथम दृष्ट्या विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण द्वारा आर.आर.टी. 2019 (1) पेज–622 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बउनवान प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम गुलाब बलाई व अन्य सिविल रिट पिटीशन संख्या 17953/2016, सिविल रिट पिटीशन संख्या 4885/2017 निर्णय दिनांक 21.01.2019 " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82–44 वर्ष बाद किया गया रेफरेन्स राजस्व बोर्ड ने खारिज किया–परिसीमा विहित नहीं है किन्तु विलम्ब युक्तियुक्त होना चाहिये–न्याय संगत कारण नहीं बताये एन तथा एम भूमि के कब्जा काश्त में थे और उनके नाम भूमि सही दर्ज की क्योंकि कॉलम नम्बर 5 में काश्तकार थे–निर्णित रेफरेन्स सही खारिज किया।

आर.आर.टी. 2017 (1) पेज–310 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बउनवान भूरिया वगै0 बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर व अन्य सिविल रिट नम्बर 954/2005 निर्णय दिनांक 30.8.2016 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा–82–बोर्ड ने रेफरेन्स स्वीकार किया और भूमि को डोली बनाम मन्दिर श्री महादेव जी के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया–1952 का अधिनियम प्रभाव में आने के बाद भूमि पुनर्ग्रहित हुई और भूमि राज्य में निहित हुई–सम्वत् 2009 से 2028 में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज थे–भूमि देवता द्वारा खुदकाश्त की जाना स्थापित नहीं

किया—जागीर पुनर्ग्रहण के समय प्रार्थीगण भूमि काश्त कर रहे थे—38 वर्षों के विलम्ब से बाद रेफरेन्स किया—कपट का आक्षेप नहीं—निर्णीत, असामान्य विलम्ब के बाद रेफरेन्स न्यायसंगत नहीं है—आदेश अपास्त किया।

आर.आर.टी. 2019(1) 250 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर राजस्थान सरकार बनाम रामलाल रेफरेन्स एल.आर. नम्बर 2607/जयपुर/2002 निर्णय दिनांक 07 अगस्त 2018 " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 मंदिर श्री सीताराम जी का नाम संवत् 2021 में जमाबंदी तैयार करते समय विलोपित किया और खसरा नम्बर 236 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया। मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी विवादित भूमि के माफीदार थे—1952 के अधिनियम के अन्तर्गत जागीर पुनर्ग्रहित हुई तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हुआ—निर्णीत, अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी की खातेदारी में भूमि सही दर्ज की ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एंव उक्त सम्मानीय न्यायालयों की मौजूदा नजीरात की रोशनी में तहसीलदार बहरोड द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बहरोड द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

प्रमाणित फोटो प्रति